कानूनी साक्षरता श्रृंखला - 3

साक्षर भारत

रमा की पाठशाला

(शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता श्रृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नईदिल्ली

रमा की पाठशाला

शहर में ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने का काम जोर-शोर से चल रहा था। रमा के माता-पिता इमारतें बनाने का काम करते थे। वह उनके साथ शहर आ गई। पीछे छूट गया उसका छोटा-सा गांव और विद्यालय। रमा थोड़ा-थोड़ा पढ़ना सीख रही थी। छोटी-छोटी कहानियां पढ़ने की कोशिश भी करती थी। गांव की और भी लड़कियां उसके साथ शहर गईं। बड़े लोग इमारत बनाने के लिए मेहनत-मजदूरी में लगे रहते। बच्चों की टोली खूब धमाल करती। कुछ दिन खूब अच्छा लगा।

10-15 दिन बाद रमा ने अपनी मां से पूछा- 'मां, छुट्टी कब मिलेगी? मैं 'स्कूल' कब जाऊंगी?'

मां ने कहा- 'जब मकान बन जाएगा तो हम वापस गांव जाएंगे। तब तुम स्कूल जाना।'

रमा फिर खेलने में मगन हो गई। अगले ही दिन जब सारे बच्चे खेल रहे थे, वहां एक दीदी आईं। उन्होंने सब बच्चों से पूछा- 'तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते?'

बच्चों ने कहा- 'हमारा स्कूल गांव में है जो यहां से दूर है। यहां तो बस हमारे घर हैं।'

दीदी ने हंसकर कहा- 'अच्छा, हमें अपने घर नहीं ले चलोगे?'

बच्चों ने कहा- 'क्यों नहीं! जरूर ले चलेंगे।' दीदी बच्चों के साथ उनके घर चल पड़ीं। दीदी ने सभी बच्चों के बारे में उनके माता-पिता से बात की। उन्होंने समझाया कि वे अपने बच्चों को पास के विद्यालय में पढ़ने भेजें।

रमा की मां ने कहा- 'दीदी, रमा तो पूछ रही थी कि स्कूल कब जाऊंगी? लेकिन यहां हम अनजान हैं। यहां स्कूल में नाम कैसे लिखवा सकते हैं?'

दीदी ने बताया कि वह पास के विद्यालय में शिक्षिका है। अब

छह से चौदह साल के बच्चों की पढ़ाई करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए 'शिक्षा का अधिकार कानून' बनाया गया है। आप बच्चों का दाखिला पास के स्कूल में ही करवा सकते हैं।

रमा की मां बोली- 'हमारे पास कोई कागजात नहीं हैं।'

दीदी ने कहा- 'स्कूल में दाखिले के लिए कोई कागजात जरूरी नहीं हैं। इसके लिए न तो फीस लगेगी और न ही कोई खर्चा होगा। आप लोग कल ही आ जाइए।'

यह सुनकर रमा बेहद खुश हुई। वह बोली- 'वाह अम्मा, मेरा 'स्कूल' मेरे साथ यहां भी आ गया।'

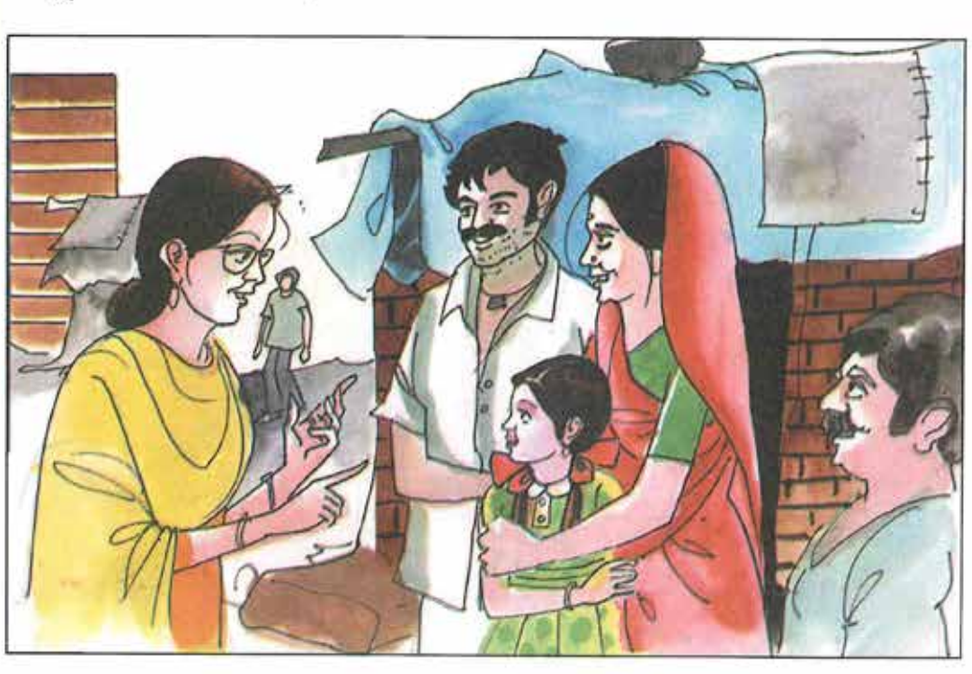

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

भारत सरकार ने वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का कानून बनाया। इस कानून के तहत सभी बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया गया है। यह कानून छह से चौदह वर्ष की आयु तक के हर बालक-बालिका पर समान रूप से लागू होगा।

प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है- कक्षा पहली से आठवीं तक की पढ़ाई। छह से चौदह वर्ष की आयु वाले हर बालक-बालिका को

नजदीक के स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार होगा। नए नियम के अनुसार निजी स्कूलों में भी हर कक्षा में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देना होगा।

यह शिक्षा नि:शुल्क होगी। कक्षा पहली से आठवीं तक की शिक्षा पूरी होने तक कोई भी फीस या किसी भी तरह का खर्च नहीं देना होगा। कापी, किताबें और स्कूल की ड्रेस भी मुफ्त मिलेगी।

इस कानून का लाभ किन बच्चों को मिलेगा?

- यह कानून छह से चौदह वर्ष के हर बालक-बालिका पर समान रूप से लागू होता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों व विकलांग बच्चों पर।
- यदि छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया या पढ़ाई पूरी नहीं की तो ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। वहां उन्हें पहले की कक्षाओं की पूरी तैयारी करवाई जाएगी।

- यदि कोई बच्चा छह वर्ष से अधिक आयु में प्रवेश लेता है तो वह चौदह वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हकदार होगा।

स्थान बदलने पर दूसरे विद्यालय में प्रवेश की सुविधा :

यदि किसी कारणवश कोई बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे नई जगह पर नजदीकी सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने का हक होगा। प्रवेश के लिए जरूरी कागजात न होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा।

स्कूल की व्यवस्था :

- शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के लिए स्कूल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- कक्षा 1 से 5 वीं तक के बच्चों के लिए एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित करना होगा।
- कक्षा 6 से 8 वीं तक के बच्चों के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित करना होगा।
- स्कूल में गरीब वर्ग या वंचित समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।

स्थानीय सरकार के कर्त्तव्य :

- छह से चौदह वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा देना।
- आसपास विद्यालय स्थापित करना। जरूरत होने पर विकलांग बच्चों के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- कमजोर वर्ग के छात्रों पर विशेष ध्यान देना। कक्षा, पीने के पानी, भोजन तथा खेल के मैदान में उनके साथ भेदभाव न हो। उनसे कक्षा तथा शौचालय की सफाई न कराई जाए।
- अपने आसपास छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों की जानकारी का लेखा-जोखा रखना। छह से चौदह वर्ष के हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाना। उसका नाम स्कूल के सूचना पटल पर लगवाना।
- बच्चों के स्कूल में प्रवेश, बराबर उपस्थिति और शिक्षा पूरी करने तक निगरानी रखना।
- विद्यालय में शिक्षक, भवन और सीखने की सामग्री उपलब्ध करवाना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- जो परिवार बाहर से आए हैं, उनके बच्चों को भी स्कूल में दाखिल करवाना।
- बच्चों की सुरक्षा और शिकायतों का समाधान करना।
- कमजोर वर्ग के बच्चों को समानता का अधिकार प्रदान करवाना।

माता-पिता और पालकों की जिम्मेदारी :

प्रत्येक माता-पिता और पालक की जिम्मेदारी है कि वह आस पास के विद्यालय में बच्चों का प्रवेश अवश्य कराएं।

विद्यालय प्रबंधन समिति :

विद्यालय की व्यवस्था के लिए एक समिति बनेगी, जिसे

विद्यालय प्रबंधन समिति कहेंगे। यह समिति निजी विद्यालयों में गठित नहीं होती है। इस समिति में कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या पालक रहेंगे। इस समिति में पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी। समिति के प्रभारी मां-बाप या पालकों में से होंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियां :

- विद्यालय के कार्यों की मॉनीटरिंग या देख-रेख करना।
- विद्यालय के विकास की योजना तैयार करना।
- विद्यालय को मिलने वाली धनराशि के सही उपयोग का ध्यान रखना।
- विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग करना।

विद्यालय विकास की योजना :

विद्यालय की जरूरतों के अनुसार विकास की योजना, प्रबंधन समिति तैयार करेगी। इसमें विद्यालय की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। इसके आधार पर सरकार से राशि मिलेगी, ताकि पाठ्य-पुस्तकों व वर्दी का मुफ्त वितरण किया जा सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाएगी। समिति समय-समय पर सरकार को विद्यालय के विकास के संबंध में सुझाव देगी। प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति बताएगी।

- **यदि किसी विद्यालय में बच्चे से प्रवेश के लिए कोई फीस या खर्च लिया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा।** प्रवेश के समय बच्चों या पालकों की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसा करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है।
- किसी बच्चे के पास आयु का प्रमाण न होने पर भी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।
- अगर कोई बच्चा सत्र शुरू होने के बाद भी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे मना नहीं किया जाएगा।
- बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा (अनुत्तीर्ण नहीं

किया जाएगा)। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा।

- किसी बच्चे को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था :

- तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की तैयारी के लिए शाला पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी भी स्थानीय सरकार की है।

शिक्षकों के कर्त्तव्य :

- विद्यालय के नियमों का पालन करना। जैसे- समय पर स्कूल खोलना एवं उपस्थित रहना।
- निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना।
- प्रत्येक बच्चे की क्षमता तय करना। बच्चे की जरूरत के अनुसार उसे अलग से पढ़ाना।
- माता-पिता एवं पालकों के साथ नियमित बैठक करना। उन्हें बच्चे की प्रगति के बारे में बताना।
- शिक्षक प्रायवेट ट्यूशन नहीं देगा।

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विद्यालय में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी :

1. **विद्यालय में शिक्षकों की संख्या :**

पहली से पांचवीं कक्षा के लिए

बच्चों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
60 तक	2
61-90	3
91-120	4
121-200	5
150 बच्चों से अधिक	5+1 हेड मास्टर
200 से अधिक	छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा (हेड मास्टर को छोड़कर)।

छठी से आठवीं कक्षा के लिए :

- कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक। विषयवार शिक्षक इस प्रकार होंगे-

1. विज्ञान और गणित।
2. सामाजिक अध्ययन।
3. भाषा।

- प्रत्येक 35 बच्चों के अनुपात में एक शिक्षक होगा/होगी।
- यदि 100 से अधिक बच्चे हैं तो –
  - एक पूर्णकालीन हेड मास्टर
  - अंशकालिक शिक्षक
  - कला शिक्षक
  - स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षक
  - कार्य शिक्षा शिक्षक

2. विद्यालय के भवन में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा तथा एक कक्ष, कार्यालय या भंडार के लिए।
- बालक-बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय।
- खेल का मैदान।
- सभी बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल की सुविधा।
- रसोई, जहां दोपहर का भोजन पकाया जाए। बच्चों को दोपहर

का खाना मुफ्त मिलेगा।
- दीवार या फैंसिंग से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था।

3. विद्यालय के खुलने के दिन और पढ़ाने के घंटे भी तय किए गए हैं, ताकि कम से कम इतना समय तो निश्चित हो-
   - पहली से पांचवीं तक 200 दिन और 800 घंटे।
   - छठी से आठवीं तक 220 दिन और 1000 घंटे।
4. प्रत्येक कक्षा में पढ़ने-पढ़ाने के लिए बच्चों को मुफ्त कापी-किताबें दी जाएंगी।
5. हर स्कूल में पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार-पत्र,

पत्रिकाएं, कहानी और सभी विषयों की पुस्तकें होंगी।

6. प्रत्येक कक्षा को खेल-सामग्री भी दी जाएगी।

- विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने का काम अधिक से अधिक कर सकें, इसलिए उन्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे कार्यों से मुक्त रखा जाएगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन :

- बच्चों के पाठ्यक्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास हो।
- बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़-लिख सकें।
- बच्चों की सोचने-समझने की शक्ति का विकास हो।
- बच्चों के सीखने का मूल्यांकन साथ-साथ हो।
- आठवीं कक्षा तक बच्चों की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।
- प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) पूरी करने पर एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

शिकायत किससे/कहां की जा सकती है?

'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' ही शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के अधिकार से संबंधित शिकायत स्थानीय अधिकारी से कर सकता है। स्थानीय अधिकारी शिकायत की जल्द से जल्द सुनवाई करेगा।

यदि व्यक्ति स्थानीय अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' में अपील कर सकता है।

यदि कोई स्कूल अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। ❑

कानूनी साक्षरता श्रृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	श्रृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र
राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति
7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in